पेटेंट कानून और जनता का स्वास्थ्य अधिकार

एस. श्रीनिवासन

अरबों डॉलर के टर्नओवर वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी नोवार्टिस पेटेंट के मुद्दे पर भले ही हार गई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा खुशियां मनाने का वक्त नहीं आया है। सच तो यह है कि पेटेंट राज में आम जनता के जीने के अधिकार पर खतरा पहले के मुकाबले आज कहीं अधिक है। ज़रूरत ऐसे उपायों की है जिनसे ट्रिप्स जैसी संधियों का भी पालन होता रहे और आम जनता के सेहत सम्बंधी हक भी सुरक्षित रहें। इसी पर केंद्रित है प्रस्तुत आलेख।

स्विट्ज़रलैंड की बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी नोवार्टिस को मद्रास हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। कंपनी ने भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3(डी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। 6 अगस्त 2007 को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। धारा 3(डी) पेटेंटों की एवरग्रीनिंग प्रवृत्ति पर लगाम लगाती है। कई कंपनियां पेटेंट अवधि की समाप्ति के समय अपने उत्पाद में थोड़ा-बहुत बदलाव कर नया पेटेंट ले लेती हैं। दवा उद्योग में इसी धूर्तता को 'एवरग्रीनिंग' नाम दिया गया है। यानी एक बार अनुसंधान कर लो और फिर थोड़े-बहुत बदलावों के साथ उसी पर नए-नए पेटेंट लेते रहो। इसी चालाकी को रोकने के लिए अप्रैल 2005 में पेटेंट (संशोधन) विधेयक के ज़रिए धारा 3(डी) का प्रावधान जोड़ा गया था।

इससे पहले जनवरी 2006 में चेन्नै के पेटेंट कार्यालय ने नोवार्टिस के उस पेटेंट आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें कंपनी ने 'इमेटिनिब मेसाइलेट' दवा के 'बीटा क्रिस्टेलाइन रूप' के लिए पेटेंट चाहा था। यह दवाई कई देशों में ग्वाइवेक/ग्लीवेक के ब्रांड नाम से बेची जा रही है। इस आवेदन को इस आधार पर खारिज़ किया गया था कि 'इमेटिनिब मेसाइलेट' पुरानी दवा का ही एक नया रूप है और इसलिए भारतीय पेटेंट कानून के तहत इस पर दुबारा पेटेंट नहीं दिया जा सकता।

कई कंपनियां पेटेंट अवधि की समाप्ति के समय अपने उत्पाद में थोड़ा-बहुत बदलाव कर नया पेटेंट ले लेती हैं। दवा उद्योग में इसी धूर्तता को 'एवरग्रीनिंग' नाम दिया गया है।

मील का पत्थर

भारत में हर साल 30 हज़ार से भी ज़्यादा लोग क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया (सीएमएल) के शिकार हो जाते हैं। यह रक्त कोशिकाओं में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। वर्ष 2001 में नोवार्टिस ने भारत में ग्वाइवेक (इमेटिनिब मेसाइलेट) प्रस्तुत की। इस दवाई से सीएमएल के 90 फीसदी रोगियों को फायदा होता है। इस प्रकार यह दवाई कैंसर के इन रोगियों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है। यह दवा इन मरीज़ों को ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। नोवार्टिस द्वारा निर्मित दवा की एक माह की खुराक का खर्च एक लाख बीस हज़ार रुपए है, जबकि भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित इसी दवाई की एक माह की खुराक की कीमत केवल आठ हज़ार रुपए है। यहां एक अहम तथ्य यह है कि इस एक माह की खुराक की लागत आती है महज़ एक हज़ार रुपए। इसका मतलब यह है कि वैसे तो भारतीय कंपनियां भी मरीज़ों से बहुत ज्यादा दाम वसूल रही हैं, मगर नोवार्टिस तो लागत से सौ गुना से अधिक मुनाफ़ा कमा रही है।

नोवार्टिस ने इस बेहद अहम दवाई की कीमत ऐसी रखी है कि यह भारत में अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर इमेटिनिब मेसाइलेट पर नोवार्टिस को पेटेंट दे दिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि कोई भी भारतीय कंपनी इसे नहीं बना पाएगी। यानी अगर मरीज़ को अपनी जान बचानी है तो उसे हर माह इस दवाई पर एक लाख बीस हज़ार रुपए खर्च करने होंगे। भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जो यह खर्च

वहन कर सकते हैं? शायद एक फीसदी भी नहीं। यानी 99 फीसदी मरीज़ दवा अर्थात उपचार तक पहुंच ही नहीं सकते। ग्लाइवेक दवा उद्योग के क्षेत्र में पेटेंट के दुरुपयोग का एक सटीक उदाहरण है। गौरतलब है कि नोवार्टिस ने एक वर्ष 2006 में ही विश्व भर में 2.6 अरब डॉलर मूल्य की ग्लाइवेक बेची थी।

वर्ष 1998 में नोवार्टिस ने भारत में ग्लाइवेक के लिए पेटेंट का आवेदन किया और 2003 में उसे विशिष्ट विपणन अधिकार (एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट, ईएमआर) प्रदान कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अदालतों ने इमेटिनिब मेसाइलेट का विपणन करने पर नौ में से छह जेनेरिक उत्पाद कंपनियों पर रोक लगा दी। लेकिन शेष तीन कंपनियां पूरे देश में दवा की आपूर्ति नहीं कर सकीं। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (सीपीएए) के अनुसार इससे ल्यूकेमिया कैंसर के हज़ारों रोगियों को परेशानी उठानी पड़ी। ग्लाइवेक खरीदने में कई लोग दिवालिया हो गए। कई लोग दवा के अभाव में मौत के मुंह में चले गए। अंततः सीपीएए ने नोवार्टिस के ईएमआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

अगर इमेटिनिब मेसाइलेट पर नोवार्टिस को पेटेंट दे दिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि कोई भी भारतीय कंपनी इसे नहीं बना पाएगी। यानी अगर मरीज़ को अपनी जान बचानी है तो उसे हर माह इस दवाई पर एक लाख बीस हज़ार रुपए खर्च करने होंगे।

इस बीच, अप्रैल 2005 में भारतीय संसद ने भारतीय पेटेंट कानून 1970 में संशोधन पारित कर दिया। इसके तहत अब दवाइयों का भी पेटेंट करवाया जा सकता है, लेकिन इसकी धारा 3(डी) में प्रावधान किया गया कि पुरानी दवाओं के नए रूपों को पेटेंट नहीं दिया जा सकता। संशोधित पेटेंट कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि किसी उत्पाद को पेटेंट देने के पूर्व भी उस पर आपत्ति की जा सकती है। इसी आधार पर सीपीएए और अन्य जेनेरिक कंपनियों ने वर्ष 2005 में नोवार्टिस के इमेटिनिब मेसाइलेट के बीटा क्रिस्टेलाइन रूप के लिए पेटेंट आवेदन का विरोध किया। विरोध का आधार था कि नोवार्टिस का यह उत्पाद नया नहीं है और इससे प्रभाव में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसलिए उसे पेटेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इस दलील को स्वीकारते हुए जनवरी 2006 में चेन्नै स्थित पेटेंट्स ऑफिस ने नोवार्टिस का आवेदन खारिज कर दिया।

अपील

चेन्नै पेटेंट्स ऑफिस के फैसले और भारतीय पेटेंट (संशोधन) कानून के खिलाफ नोवार्टिस ने मई 2006 में मद्रास हाई कोर्ट में मामला दायर किया। इसमें कई दवा कंपनियों और सीपीएए को प्रतिवादी बनाया गया। नोवार्टिस की ओर से शांति भूषण और सोली सोराबजी जैसे मशहूर वकीलों ने दलीलें पेश की। कंपनी के वकीलों का तर्क था कि धारा 3(डी) ट्रिप्स के अनुरूप नहीं है और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती है।

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में पहले मुद्दे पर कहा कि ट्रिप्स उसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि का एक हिस्सा है। ऐसे विवादों के निपटारे के लिए ट्रिप्स की धारा 64 के तहत एक व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी राय देना उचित नहीं समझा कि धारा 3(डी) ट्रिप्स का उल्लंघन करती है या नहीं। दूसरे मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि धारा 3(डी) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती और इस प्रकार नोवार्टिस की याचिका खारिज कर दी। बाद में स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी यह साफ कर दिया कि इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि नोवार्टिस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही है।

अहम मुद्दे

कोर्ट के इस फैसले से नोवार्टिस विरोधियों में खुशी

की लहर है, लेकिन इस लहर को थामने की ज़रूरत है। न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति के मद्देनज़र यह फैसला कभी भी बदल सकता है। कंपनी को आगे भी अपील करने का अधिकार है। हालांकि माना जा रहा है कि वह ऐसा शायद न करे, क्योंकि इससे उसकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसकी बजाय वह कुछ अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे यह प्रचार करना कि भारत में बौद्धिक संपदा संरक्षण सम्बंधी माहौल अनुकूल नहीं है।

बेहतर तो यही होगा कि इस पूरे मसले को भारतीय संविधान की धारा 21 (जीने का अधिकार) से जोड़कर देखा जाए। यानी इस मामले में लोगों की सेहत का मुद्दा प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर हो।

दरअसल, यह पूरा विवाद पेटेंट कानून में धारा 3(डी) को जोड़ने से शुरू हुआ है। यह धारा कंपनियों की एवरग्रीनिंग प्रवृत्ति पर विराम लगाकर दवाइयों तक भारत की आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करती है। इस प्रावधान को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। इसकी एक उपधारा दवा के प्रभाव से सम्बंधित है। अगर ज़ोर इस उपधारा पर दिया जाएगा तो इससे विधि सम्बंधी विवादों का नया पिटारा खुल जाएगा। प्रभाव पर फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किसी अदालत में मामले को किस तरह से पेश किया जाता है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि इस पूरे मसले को भारतीय संविधान की धारा 21 (जीने का अधिकार) से जोड़कर देखा जाए। यानी इस मामले में लोगों की सेहत का मुद्दा प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर हो।

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास इतने संसाधन होते हैं कि उससे लड़ना जनहित के लिए कार्य करने वाले वकीलों व कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं है। आखिर किस-किस पेटेंट का अदालतों में विरोध किया जाएगा। ऐसे में अहम जीवन रक्षक दवाइयों तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर पर कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार दो कदम तो उठा ही सकती है - (1) आम जनता के लिए महत्वपूर्ण दवाइयों पर पेटेंट न दिए जाएं और, (2) दवाइयों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग। अनिवार्य लायसेंस का मतलब होता है कि यदि पेटेंटधारक सम्बंधित दवा का उत्पादन करने में टालमटोल करे तो सरकार किसी अन्य कंपनी को लायसेंस दे सकती है। सरकार इसकी शुरुआत इमेटिनिब मेसाइलेट के लिए लाइसेंस से कर सकती है। अगर सरकार कैंसर रोगियों के लिए उपचार कोश की स्थापना कर सके तो यह एक प्रशंसनीय कदम होगा। इससे ट्रिप्स और दोहा समझौते का भी उल्लंघन नहीं होगा और आम नागरिकों की सेहत सम्बंधी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा सकेगा। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***

स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

वार्षिक सदस्यता 150 रुपए
द्वैवार्षिक सदस्यता 275 रुपए
त्रैवार्षिक सदस्यता 400 रुपए

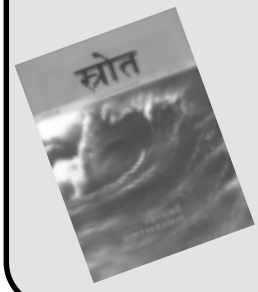

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से
एकलव्य, ई-10, शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.) 462 016
के पते पर भेजें।